भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 375

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

पंचायतों को शक्तियां

†375. श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायतों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं ताकि ग्रामीणों को उनके गांवों में स्वराज की अनुभूति (स्व-शासन) अधिक हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन चलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें प्रदत्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण एक राज्य विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 246 द्वारा पंचायतों की स्थापना के लिए संवैधानिक अधिदेश दिया गया है। तदनुसार राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा पंचायत स्थापित की जाती हैं व संचालित होती हैं।

(ग) और (घ) चौदहवें वित्त आयोग के तहत अवार्ड अवधि 2015-20 के लिए 2,00,292.20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि पंचायतों को प्रदान की जा रही है, जो कि समग्र स्तर पर 488 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की सहायता राशि के बराबर है और यह सहायता राशि संविधान के भाग IX के तहत गठित ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं, जैसे कि जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बरसात के पानी की निकासी, सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव, सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइटिंग, कब्रगाह और श्मशान घाट आदि और किसी भी अन्य ऐसी बुनियादी सेवा जिसे राज्य विधानमंडल के तहत सौंपा गया हो आदि को प्रदान करने के लिए दी जा रही है। एफएफसी अनुदान जारी करने का राज्यवार विस्तृत विवरण **अनुबंध** में है।

****

अनुबंध

'पंचायतों को अधिकार' के संबंध में दिनांक **19.11.2019** को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

चौदहवें वित्त आयोग अनुदान की राज्यवार निर्मुक्ति (दिनांक 30.11.2019 तक)

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	928.41	1454.05	1675.88	858.99	0.00*
2	अरूणाचल प्रदेश	88.52	138.45	70.57	0.00*	0.00*
3	असम	584.80	915.98	1055.80	1082.32	0.00*
4	बिहार	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.7
5	छत्तीसगढ़	566.18	886.82	1022.18	1047.86	0.00**
6	गोवा	14.44	22.62	26.07	13.37	0.00*
7	गुजरात	932.25	1460.18	1683.08	1725.36	1165.67
8	हरियाणा	419.28	656.72	756.98	775.99	1048.53
9	हिमाचल प्रदेश	195.39	306.05	312.60	361.63	488.64
10	जम्मू एवं कश्मीर	367.72	474.41	470.97	544.83	0.00*
11	झारखण्ड	652.83	1022.53	1044.45	1208.24	1632.59
12	कर्नाटक	972.36	1547.66	1784.26	1841.54	2504.13
13	केरल	433.76	679.39	773.54	802.78	1084.73
14	मध्य प्रदेश	1463.61	2292.46	2638.21	2708.78	3660.14
15	महाराष्ट्र	1623.32	2542.61	2597.10	3004.37	2029.775
16	मणिपुर	22.25	34.84	40.16	41.17	0.00*
17	ओडिशा	955.52	1496.64	1725.11	1768.44	2389.54
18	पंजाब	441.70	691.84	0.00*	0.00*	0.00*
19	राजस्थान	1471.95	2305.52	2657.47	2724.22	3681.01
20	सिक्किम	16.04	25.11	28.95	29.67	20.045
21	तमिलनाडु	947.65	1484.31	1516.12	1753.87	0.00*
22	तेलंगाना	580.34	908.99	1047.75	1071.59	725.65
23	त्रिपुरा	36.24	56.76	65.43	67.07	90.63
24	उत्तर प्रदेश	3852.60	6034.33	6179.65	7148.74	9659.47
25	उत्तराखण्ड	203.26	318.37	346.77	376.19	254.16
26	पश्चिम बंगाल	1470.86	2319.48	2369.18	2740.69	3703.25
	कुल	**21510.46**	**33218.20**	**35518.67**	**37897.41**	**39812.65**

* राज्यों से पिछली निर्मुक्ति के उपयोग प्रमाणपत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है

** वित्त मंत्रालय के लिए अनुशंसित